न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 115/2017

1. रूकमणी पत्नी रामस्वरूप पुत्री दुर्गालाल, निवासी गैसी, तहसील नादौती।
2. गीता पत्नी किशनलाल पुत्री दुर्गालाल, निवासी पीपलदा तहसील बौली।
3. शांति पत्नी रामचरण पुत्री दुर्गालाल, निवासी कैमला तहसील नादौती।
4. विमला पत्नी रमेश पुत्री दुर्गालाल, निवासी शहर तहसील नादौती।
5. मोहिनी उर्फ मुन्नी पत्नी कमलेश पुत्री दुर्गालाल निवासी सलावद तहसील नादौती।

अपीलांट

बनाम

1. सूरजमल पुत्र बजरंगा
2. जगदीश पुत्र सूरजमल
3. राजू पुत्र सूरजमल
4. सरदार पुत्र रामसहाय
5. केदार पुत्र रामसहाय
6. सज्जन पुत्र प्रभूलाल
7. मुकेश पुत्र प्रभूलाल
8. रमेश पुत्र रामनिवास
9. मुरारी पुत्र रामनिवास
10. बनवारी पुत्र रामनिवास
11. वेद पुत्र कजोड
12. प्रेमराज पुत्र बदरीलाल
13. गीता पत्नी कमल
14. जस्सो पत्नी रामसहाय
15. राजेन्द्र पुत्र कमल
16. सुरेन्द्र पुत्र कमल
17. गिरधारी पुत्र दुर्गालाल जाति पूर्विया निवासी माधोपुरा (मृतक)
    17/1 नरपतसिंह दत्तक पुत्र गिरधारीलाल जाति राजपूत निवासी ग्राम माधोपुरा तहसील बामनवास।
18. कजोडमल पुत्र गोविन्दा निवासी माधोपुरा तहसील बामनवास

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास
मु0न0 05/2013 निर्णय दिनांक 26.05.2016)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपी0 की और से श्री गोपेश शर्मा
2. रेस्पो0 की और से श्री जुगल किशोर गर्ग

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.01.24 16:03:27 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक: 02.03.2021

1. प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) के तहत न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास के मु0न0 05/2013 निर्णय दिनांक 26.05.2016 के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय मे वादीगण ने एक वाद पत्र दावा अन्तर्गत राजस्थान

Scanned with CamScanner

काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 बाबत स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि वादीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी कृषि भूमि ख0 नं0 782 रकबा 0.21 हेक्टर ग्राम बाटोदा तहसील बामनवास में स्थित है जिसे वादीगण उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे है। उक्त आराजी पर वादीगण ने कृषि का सामान तुडा आदि रखने हेतु दुकाननुमा कमरे बना रखे है। उक्त आराजी में पुख्ता नींव भरकर छप्पर पोशनुमा बना रखा है जो वादीगण के बैठने उठने व खेत को संभालने के काम आता है तथा वादीगण द्वारा करीब दो ट्रोली पत्थर डाल रखे है। प्रतिवादीगण सरगना बदमाश किस्म के व्यक्ति है तथा बाहुबल में अधिक है जिनका उक्त भू खण्ड से ताल्लुक वास्ता नहीं है और जबरन वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने पर उतारू है। प्रतिवादीगण दिनांक 06.12.2012 को वादीगण के डाकरे व बडीता को उखाडकर ले जाने लगे तो वादीगण ने प्रतिवादीगण से मना किया तो प्रतिवादीगण नाराज हुये और कहने लगे कि तुम्हारे पुत्र जगदीश की एक टांग तो टूट रही है उसको जान से मारने की धमकी दी है तथा विवादित आराजी से बेदखल करने की धमकी दी गई है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को समझाया किन्तु प्रतिवादीगण नहीं माने और झगडा करने पर उतारू हो गये। इस कारण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा "वादीगण/प्रतिवादीगण के राजीनामानुसार दावा डिक्री किया जाकर ग्राम बाटोदा की आराजी ख0नं0 782 रकबा 0.21 हेक्टर में गिरधारी पुत्र दुर्गालाल, कजोडमल पुत्र गोविंदा हिस्सा बराबर हिस्सा 2/3 एवं मुरारी, रमेशसिंह, बनवारी पुत्र रामनिवास हिस्सा 1/6 जस्सो पत्नी रामसहाय, सुरजमल पुत्र बजरंगा हिस्सा 1/12, गुलाब पत्नी कजोड, मनभर पत्नी बद्री, दाखा पत्नी प्रभु हिस्सा 1/12 राजस्व रिकार्ड में अमल करने के आदेश तहसीलदार बामनवास को दिये जाते है तथा शेष अंकन बदस्तूर रहेगा।" से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषको की सुनी गई।

3. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में अपील के वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय राजस्व लोक अदालत "न्याय अपके द्वार कैम्प 2016" ग्राम पंचायत मुख्यालय सांचोली तहसील बामनवास पर तथाकथित समझौता वार्ता पक्षकार के मध्य करवाई गई जिसके अंतर्गत वादीगण सख्या 01 व 02 एवं प्रतिवादीगण 01 ला0 16 द्वारा 100/– रूपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र पेश कर तथाकथित राज़ीनामा पेश करवाया गया, इसके तहत विवादित भूखण्ड का आपस में साजिशी रूप में राजीनामा पेश कर तहत न्यायालय द्वारा समस्त पक्षकारों के अभाव में वर्णित तथाकथित राजीनामा तस्दीक करने में भारी विधिक भूल की गयी है, जो विधि विरूद्व, परवर्स व इल्लीगल होने से अपखण्डित किये जाने योग्य है। किसी प्रकार का कोई राजीनामा पक्षकारों के मध्य नहीं हुआ है। तथाकथित स्टाम्प/शपथ पत्र में अपी0 के हस्ताक्षर नहीं होने के बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने अनदेखी कर निर्णय पारित कर वैधानिक भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय में वादी सं0 1 व 3 तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 16 ने साथ रह अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष स्टाम्पित शपथ पत्र कीमती 100/– रूपये में विवादित भूखण्ड के अलावा अन्य भूखण्डों का भी विवरण देते हुए तथाकथित समझौता/शपथ पत्र पेश किया गया, तथाकथित पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Ramani
Date: 2022.01.24 16:03:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

शपथ पत्र पहचान किए बिना वैध शपथ पत्र न होकर वेस्ट पेपर है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने समक्ष विचाराधीन प्रकरण के वास्तविक प्रकृति का अवलोकन किए बिना ही अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर उपरोक्त वर्णित तथाकथित राजीनामा स्टॉम्पित 100/– रूपये कीमती के आधार पर ही पक्षकारों का हिस्सा निर्धारित करने में भारी विधिक भूल की गई है तथा उक्त हिस्से के अनुसार अपी0 के हिस्से को समाप्त करते हुये राजस्व जमाबंदी में इन्द्राज किये जाने के आदेश पारित करने में भी भारी विधिक भूल की गई है तथा उक्त हिस्से के अनुसार अपी0 के हिस्से को समाप्त करते हुऐ राजस्व जमाबंदी में इन्द्राज किये जाने के आदेश पारित कर दिये। अधिनस्थ न्यायालय को पक्षकारों का हिस्सा निर्धारित करने का कोई अधिकार नहीं था। मूल वाद की प्रकृति मात्र स्थाई निषेधाज्ञा की थी जिसमें अधिनस्थ न्यायालय को किसी प्रकार से पक्षकारों के मध्य घोषणा, विभाजन या अन्य कोई भी अनुतोष प्रदान किये जाने का वैधानिक अधिकार नहीं था। अधिनरथ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर विधिक भूल की गई है। अपी0 द्वारा जानकारी के अभाव में नियत समयावधि में अपील पेश नहीं करने हेतु जानकारी न होने का समुचित कारण रहा है, फिर भी अपी0 द्वारा अपील पेश करने तक का समय क्षमा किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमन अधिनियम 1963 स्वीकार फरमाया जावें। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.05.2016 अपास्त फरमाया जावे। न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 2020 पेज सं0 44 पेश किया।

4. रेस्पी0 के विद्वान अधिवक्ता ने जबाब बहस मे तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि रेस्पी0 की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी कृषि भूमि ख0 नं0 782 रकबा 0.21 हेक्टर ग्राम बाटोदा तहसील बामनवास में स्थित है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 26.05.2016 पारिवारिक समझौता/राजीनामा के आधार पर पारित किया गया है। राजीनामा के आधार पर पारित निर्णय को अपील के माध्यम से चुनौती नहीं दी जा सकती है। वाद के अभिकथनों से बाहर जाकर भी न्यायहित में निर्णय किया जा सकता है। अपी0 को अधिनस्थ न्यायालय की जानकारी होते हुए भी जानबूझ कर अपील देरी से पेश की है। दफा–5 के बारे में कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमन अधिनियम 1963 खारिज फरमाया जावें। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो के आधार पर विधिपूर्वक अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जाये एवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

5. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषको द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया, पत्रावलीयों का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रस्तुत एवं न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.01.24 16:03:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

6. प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 परिसीमन अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

7. वाद संख्या 05/2013 अधिनस्थ न्यायालय में गिरधारी वगै0 बनाम सूरजमल वगै0 दिनांक 22.02.2013 को दर्ज किया गया। इस वाद में गिरधारी, आनंदी व कजोडमल वादीगण थे। दिनांक 07.11.2013 को गिरधारी व कजोड द्वारा आदेश 22 नियम 3 जा. दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें आनंदी की मृत्यु दिनांक 07.10.2013 को होना बताया व 2/1 से 2/6 उभय वारिसान होना बताया गया। दिनांक 19.03.2015 को उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया व अपी0 को वाद में वादीगण 2/1 ल0 2/5 के रूप में संयोजित किया गया। दिनांक 26.05.2016 को गिरधारी वगै0 ने प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय के राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट सांचोली में प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र में पारिवारिक समझौता के आधार पर भूमि रिकार्ड में दर्ज करने का कथन किया गया। पक्षकारों के मध्य राजीनामा के आधार पर वाद डिक्री कर दिया गया। पत्रावली पर राशि 100/–रू. के स्टाम्प पर एक लिखावट है जिसे राजीनामा के रूप में पेश किया गया है। इस लिखावट पर अपी0 के हस्ताक्षर नहीं है। अपी0 को दिनांक 19.03.2015 को पक्षकार के रूप में संयोजित करने के पश्चात भी इनकी अनुपस्थिति में राजीनामा स्वीकार कर निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि दृष्टव्य होती है। इसलिए अपील प्रतिप्रेषित करने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का मु0नं0 05/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.2016 अपास्त किया जाता है। प्रकरण विचारणीय न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण के संबंध में पारिवारिक समझौते के परिपेक्ष्य में विवेचन, विश्लेषण कर, उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विस्तृत आदेश पारित करे। उभयपक्ष को पावन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर, बामनवास के यहॉ दिनांक 15.04.2021 को उपस्थित होवे।

8. निर्णय आज दिनांक 02.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2.3.21

(बी.एल.रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.01.24 16:03:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner